



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-16072026-274529
CG-JH-E-16072026-274529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 562]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)
अधिसूचना
धनबाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 620(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 164 के तहत मुझे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है), इसके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में स्टाफ, उपकरण और अन्य सुविधाओं के प्रावधानों का विनिर्देशन करता हूं।

दायरा: यह मानक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले स्टाफ, उपकरण और अन्य सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 164 के तहत आवश्यक है।

लागू होना: यह मानक उन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होता है जो कोयला, धातु-युक्त (मेटैलिफेरस) और तेल खदानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के तहत स्थापित किए गए हैं।

अनुपालन की आवश्यकता |

I. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कोयला या धातु-युक्त खदानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है:

(A) स्टाफ:

1. नियम 165 के उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

2. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण अधिकारी की सहायता इनके द्वारा की जाएगी:

(a) एक पूर्णकालिक प्रशिक्षक [खनन] जिसके पास नियम 169 के तहत निर्दिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव हो।

(b) एक पूर्णकालिक प्रशिक्षक [यांत्रिक] जिसके पास नियम 169 के तहत निर्दिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव हो।

(c) एक पूर्णकालिक प्रशिक्षक [विद्युत] जिसके पास नियम 169 के तहत निर्दिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव हो।

(d) उपरोक्त के अलावा, विशेष विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले अतिथि संकाय (गेस्ट फैकल्टी) या OEM (मूल उपकरण निर्माता) के प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है।

शर्त यह है कि, अगर किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर की मदद के लिए एक फुल-टाइम असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होगा, जिसके पास कम से कम 5 साल का अनुभव और प्रबंधक का योग्यता प्रमाण-पत्र (certificate of competency) हो।

इसके अलावा, अगर किसी वोकेशनल प्रशिक्षण सेंटर में 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर की मदद के लिए एक अतिरिक्त फुल-टाइम इंस्ट्रक्टर [माइनिंग] भी होगा, जिसके पास नियम 169 में बताई गई योग्यता, ट्रेनिंग और अनुभव हो।

3. ट्रेनिंग सेंटर/वर्क शेड में ट्रेनीज़ को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए, अनुभवी कर्मचारियों/कामगारों/ट्रेड्समैन में से अलग-अलग ट्रेड के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनर्स नियुक्त किए जाएंगे।

4. सहयोगी स्टाफ: डिजिटल और फ़िज़िकल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड कीपर (क्लर्क), लाइब्रेरियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ़/ऑफ़िस अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कर्मचारी।

5. स्पेशलाइज़्ड इंस्ट्रक्टर: संबंधित विषय/क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को फुल-टाइम/पार्ट-टाइम विज़िटिंग स्पेशलाइज़्ड इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा जाएगा, जो विषय-विशिष्ट लेक्चर देंगे और फ़र्स्ट-एड ट्रेनिंग भी देंगे।

(B) उपकरण

वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को ये उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

1. ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी उपकरण और साधन, जैसे इंटरनेट/LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर, संबंधित सुरक्षा और टेक्निकल सॉफ़्टवेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर (OHP), स्लाइड/फ़िल्म प्रोजेक्टर, ऑडियो-विज़ुअल साधन जैसे TV, LCD प्रोजेक्टर (जिसमें सुरक्षित काम करने के तरीकों और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर ट्रेनिंग वीडियो शामिल हों)। अलग-अलग ट्रेनिंग कोर्स के लिए तैयार किया गया कोर्स मटीरियल, जिसमें खदान के सुरक्षा प्रबंधन योजना (SMP) का अप-टू-डेट वर्शन और लेटेस्ट सुरक्षित संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) शामिल हों।

2. मॉडल और डेमोस्ट्रेशन रूम/हॉल, जिसमें मशीनरी, सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के काम करने वाले या कट-अवे मॉडल हों, जो अलग-अलग प्रक्रियाओं, ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल और समय-समय पर बताए गए अन्य विवरणों को दिखाते हों।

3. शुरुआती/रिफ्रेशर/खास ट्रेनिंग के लिए डिजिटल डेटा मैनेजमेंट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया जा सके, दी गई ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जा सके, आदि।

बशर्ते, अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा मशीनीकृत ओपनकास्ट खदानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वहां HEMM ऑपरेशन की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर होने चाहिए, ताकि मौजूदा और नए नियुक्त लोगों को स्किल्स सिखाई जा सकें और उनकी स्किल्स को बेहतर बनाया जा सके

2. मॉडल और डेमोस्ट्रेशन रूम/हॉल, जिसमें मशीनरी, सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के काम करने वाले या कट-अवे मॉडल हों, जो अलग-अलग प्रक्रियाओं, ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल और समय-समय पर बताए गए अन्य विवरणों को दिखाते हों।

3. शुरुआती/रिफ्रेशर/खास ट्रेनिंग के लिए डिजिटल डेटा मैनेजमेंट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया जा सके, दी गई ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जा सके, आदि।

बशर्ते, अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा मशीनीकृत ओपनकास्ट खदानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वहां HEMM ऑपरेशन की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर होने चाहिए, ताकि मौजूदा और नए नियुक्त लोगों को स्किल्स सिखाई जा सकें और उनकी स्किल्स को बेहतर बनाया जा सके।

तेल खदानों (Oil Mines) की ट्रेनिंग ज़रूरतों को पूरा करने वाली वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में:

(A) स्टाफ़:

1. नियम 165 के उप-नियम (1) में बताई गई योग्यता और अनुभव रखने वाले एक पूर्णकालिक (whole-time) ट्रेनिंग ऑफिसर को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा।

बशर्ते कि, 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग लेने योग्य कर्मचारियों वाले वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के मामले में, ट्रेनिंग ऑफिसर की मदद के लिए एक पूर्णकालिक असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होगा, जिसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री और ऑयलफ़ील्ड में कम से कम दस साल का काम का अनुभव हो।

2. वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग ऑफिसर की मदद इनके द्वारा की जाएगी:

a. इंस्ट्रक्टर: विषय-विशिष्ट लेक्चर देने के लिए, पूर्णकालिक/पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर - ड्रिलिंग, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और जियो-फ़िज़िक्स विषयों में से प्रत्येक से एक-एक, और अन्य विषयों से अतिरिक्त इंस्ट्रक्टर। खास इंस्ट्रक्टर: संबंधित विषय/क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को फुल-टाइम/पार्ट-टाइम विजिटिंग खास इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा जाएगा (जिसमें फ़र्ट-एड ट्रेनिंग भी शामिल है), ताकि वे विषय-विशेष पर लेक्चर दे सकें।

c. ट्रेनर्स: हर ऑयल माइन में खास या स्किल्ड काम की "ऑन-द-जॉब" ट्रेनिंग के लिए अनुभवी कर्मचारियों/ट्रेड्समैन को नियुक्त किया जाएगा। ये ड्रिलिंग, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जियो-फ़िज़िक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों से होंगे और इन्हें माइन एजेंट की मंजूरी से ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज ने अधिकृत किया होगा।

d. ट्रेनिंग सुपरवाइज़र: हर ऑयल माइन में ट्रेनीज़ की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की देखरेख के लिए एक ट्रेनिंग सुपरवाइज़र नियुक्त किया जाएगा, जिसे माइन एजेंट की मंजूरी से ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज ने अधिकृत किया होगा।

e. सहयोगी स्टाफ़: डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड कीपर (क्लर्क), लाइब्रेरियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और मल्टी-टास्किंग स्टाफ़/ऑफिस अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कर्मचारी।

(B) उपकरण:

(i) ट्रेनिंग टूल्स और एड्स जैसे इंटरनेट/LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर

(B) उपकरण:

(i) ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी टूल्स और साधन जैसे इंटरनेट/LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर, ज़रूरी सेफ्टी और टेक्निकल सॉफ्टवेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर (OHP), स्लाइड/फिल्म प्रोजेक्टर, ऑडियो-विजुअल साधन जैसे TV, LCD प्रोजेक्टर (जिसमें सुरक्षित काम करने के तरीकों और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर ट्रेनिंग वीडियो शामिल हों)। अलग-अलग ट्रेनिंग कोर्स के लिए तैयार किया गया कोर्स मटीरियल, जिसमें माइन का अप-टू-डेट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान (SMP) और लेटेस्ट सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) शामिल हों।

(ii) मॉडल और डेमोस्ट्रेशन रूम/हॉल जिसमें मशीनरी, ब्लोआउट प्रिवेंशन (BOP), सेफ्टी डिवाइस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के काम करने वाले या कट-अवे मॉडल हों; जो अलग-अलग प्रक्रियाओं, ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल और समय-समय पर बताए गए अन्य विवरणों को दिखाते हों।

(iii) वेल कंट्रोल, ड्रिलिंग और अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स के लिए एडवांस्ड सिमुलेटर। मौजूदा और नए नियुक्त लोगों की स्किलिंग और अप-स्किलिंग के लिए असल ज़िंदगी के खतरों का अनुभव कराने वाले 3D वर्चुअल रियलिटी (VR) सिस्टम।

(iv) बेसिक/रिफ्रेशर ट्रेनिंग से जुड़े डिजिटल डेटा के प्रबंधन के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया जा सके (बेहतर होगा कि इसके लिए उपयुक्त AI टूल्स का इस्तेमाल हो), दी गई ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जा सके, आदि।

(C) इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं:

(i) ज़रूरी फर्नीचर से लैस इंचार्ज प्रशिक्षण अधिकारी का कमरा

(ii) ज़रूरी फर्नीचर से लैस असिस्टेंट वोकेशनल प्रशिक्षण अधिकारी का कमरा

(iii) ज़रूरी फर्नीचर से लैस इंस्ट्रक्टर का कमरा

(iv) ज़रूरी फर्नीचर से लैस पर्याप्त संख्या में लेक्चर हॉल/क्लास रूम

(v) ज़रूरी फर्नीचर से लैस ऑफिस, स्टोर, रिकॉर्ड रूम आदि

(vi) ई-बुक्स, पढ़ने की ज़रूरी सुविधा और ज़रूरी फर्नीचर के साथ लाइब्रेरी रूम का विकल्प

(vii) ट्रेनिंग शेड और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गैलरी, जिसमें स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) और ऑयलफील्ड्स में ऑपरेशन्स से जुड़े खतरों के अन्य संबंधित मॉडल दिखाए गए हों।

(viii) आग बुझाने और प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) की ट्रेनिंग और प्रदर्शन की सुविधा।

(ix) ऊंचाई पर काम करने के लिए ट्रेनिंग की सुविधा।

(x) पीने का पानी, शौचालय की सुविधा (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए), और काफी खुली पार्किंग की जगह।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-4/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Directorate General Of Mines Safety)****NOTIFICATION**

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 620(E).— In exercise of the powers conferred on me under Rule 164 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the provisions of staff, equipment and other facilities in Vocational Training Centre, as follows:

Scope: This standard specifies the staff, equipment and other facilities to be provided in Vocational Training Centres, as required under Rule 164 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: This standard is applicable to all Vocational Training Centres established under Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for catering the training needs of Coal, Metalliferous, Oil Mines.

Compliance Requirement:**I. In case of the Vocational Training Centre catering the training needs of Coal or Metalliferous Mines:****(A) Staff:**

1. A whole time Training officer having qualification, experience as specified under sub-Rule (1) of Rule 165 shall be appointed as in-charge of the Vocational Training Centre.
2. The Training officer of Vocational Training Centre shall be assisted by:
 - (a) One whole time instructor [Mining] having qualification, training and experience as specified under Rule 169.
 - (b) One whole time instructor [Mechanical] having qualification, training and experience as specified under Rule 169.
 - (c) One whole time instructor [Electrical] having qualification, training and experience as specified under Rule 169.
 - (d) In addition to the above, guest faculties with expertise in specialised subjects or OEMs representative may be invited as and when required.

Provided that, in case of vocational training centre, catering to more than 2000 trainable employees, the Training officer shall be assisted by one whole time assistant Training Officer, having at least 5 years of experience and possessing Manager's certificate of competency.

Provided further that, in case of vocational training centre, catering to more than 4000 trainable employees, the Training officer shall also be assisted by one additional whole time instructor [Mining] having qualification, training and experience as specified in Rule 169.

3. Adequate numbers of trainers in different trades from amongst the experienced employee/workmen/tradesmen shall be appointed to impart practical training to the trainees in the training centre /work shed.
4. Subordinate Staff: Record keeper (Clerks), Librarians, Data Entry Operators to manage digital & physical records and Multi-Tasking Staff/Office attendant, Gardener & Sweeper.
5. Specialized Instructors: Domain experts related to relevant subject/field shall be arranged as full/part-time visiting Specialised Instructors, including first-aid training, for delivering subject-specific lectures.

(B) Equipment

The Vocational Training Centre shall be provided with following equipment:

1. Training Tools and aids such as Computers with internet/LAN connectivity relevant safety and technical software, Overhead Projectors (OHP), Slide/Film Projectors, Audio-Visual Aids such as TV, LCD projector including training videos on safe work procedures and emergency responses. Course material prepared for different training courses consisting of up-to-date version of the Safety Management Plan (SMP) of mine and the latest Safe Operating Procedures (SOP).

2. Model & Demonstration room/hall with working or cut-away models of machinery, safety devices and electrical equipment, depicting different procedures, online/ offline Training Modules and other details as directed from time to time.
3. Digital infrastructure for management of Digital Data in respect of Initial/Refresher/ Special Training for generation of need based Training Calendar, evaluation of training imparted, etc.

Provided that, in case of Vocational Training Centre catering the needs of highly mechanised Opencast Mines, a Simulator for training on HEMM operations for skilling and up skilling of existing and newly appointed persons.

(C) Infrastructure and Other Facilities

1. The training centre shall be provided with—
 - (a) Class rooms equipped with large digital display system or LCD Projector with screen and computer / laptop- 01 no.
 Provided that if the trainable employees are more than 2000 persons 01 (one) additional class room shall be provided for every additional 2000 persons or part thereof.
 - (b) Training officer room -01 no.
 - (c) Instructor room- 01 no.
 - (d) Model room consisting of working models or cut-away models of machinery, safety devices and electrical equipment -01 no.
 - (e) Firefighting training and demonstration facility.
 - (f) Library – 01 no.
 - (g) Office/record room – 01 no.
 - (h) Store room – 01 no.
 - (i) Toilets – 03 (Separate for gents, ladies and transgender)
 - (j) Training shed/work shed with all the necessary arrangement for demonstration and practice for job training.
2. Arrangement for conveyance of the trainees from the respective mine to training centre and back shall be provided.

II. In case of the Vocational Training catering the training needs of Oil Mines:

- (A) Staff:
 1. A whole time Training officer having qualification, experience as mentioned under sub-Rule (1) of Rule 165 shall be appointed as in-charge of the Vocational Training Centre.
 Provided that, in case of vocational training centre, catering to more than 1000 trainable employees, the Training officer shall be assisted by one whole time assistant Training Officer, possessing at least Degree in Engineering with at least ten years of work experience in oilfields.
 2. The Training officer of Vocational Training Centre shall be assisted by:
 - a. Instructors: For delivering subject-specific lectures, whole time/ Part time instructors, one each from Drilling, Petroleum, Mechanical, Electrical, Chemical and Geo-Physics disciplines and additional instructors from other disciplines.
 - b. Specialized Instructors: Domain experts related to relevant subject/field shall be arranged as full/part-time visiting Specialised Instructors, including first-aid training, for delivering subject-specific lectures.
 - c. Trainers: Every oil mine shall designate experienced workmen/ tradesman for "on-the-job" training of specialised or skilled job, from Drilling, Petroleum, Mechanical, Electrical, Chemical, Geo-Physics and other relevant disciplines, who has been authorised by the in charge of Training Centre with the approval of the Mine Agent.

- d. Training Supervisors: Every oil mine shall designate a training supervisor for supervising on the job training of trainees, who has been authorised by the in charge of Training Centre with the approval of the Mine Agent.
- e. Subordinate Staff: Record keeper (Clerks), Librarians, Data Entry Operators to manage digital & physical records and Multi-Tasking Staff/Office attendant, Gardener & Sweeper.

(B) Equipment:

- (i) Training Tools and aids such as Computers with internet/LAN connectivity relevant safety and technical software, Overhead Projectors (OHP), Slide/Film Projectors, Audio-Visual Aids such as TV, LCD projector including training videos on safe work procedures and emergency responses. Course material prepared for different training courses consisting of up-to-date version of the Safety Management Plan (SMP) of mine and the latest Safe Operating Procedures (SOP).
- (ii) Model & Demonstration room/hall with working or cut-away models of machinery, Blowout Prevention (BOP), safety devices and electrical equipment, depicting different procedures, online/offline Training Modules and other details as directed from time to time.
- (iii) Advanced Simulators for well control, drilling and other important operations. 3D Virtual Reality (VR) systems to simulate real-life hazards for skilling and up skilling of existing and newly appointed persons.
- (iv) Digital infrastructure for management of Digital Data in respect of Basic/Refresher Training for generation of need based Training Calendar (preferably using suitable AI tools), evaluation of training imparted, etc.

(C) Infrastructure and Other facilities:

- (i) In-charge Training Officer Room equipped with the required furniture
- (ii) Assistant Vocational Training Officer Room equipped with the required furniture
- (iii) Instructor's Room equipped with the required furniture.
- (iv) Adequate number of Lecture Hall(s)/Class Rooms equipped with the required furniture
- (v) Office, Store, Record room etc., equipped with the required furniture
- (vi) Library room option with e-books and necessary reading facility and required furniture
- (vii) Training shed & Occupational Health & Safety Gallery displaying standard standing orders, Emergency response plan, personal protective equipment (PPE), and other relevant models of hazards associated with operations in oilfields.
- (viii) Firefighting and First Aid training and demonstration Facility.
- (ix) Training facility for working at height.
- (x) Drinking water, toilet facilities (for both male & female), ample open parking space.

[F. No. DGMS/03-4/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines